

कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

संख्या:-ई0सी0-1/2019/

दिनांक अगस्त, 2019

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-3 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्थापित सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु सृजित चिकित्सा शिक्षकों/सीनियर रेजीडेंट के पदों पर संविदा के आधार पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या:-एम0ई0-2/2018/1828 लखनऊ:दिनांक 03 नवम्बर, 2018 के आदेशानुसार मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-3 में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन 'वाक-इन-इन्टरव्यू'(Walk-in-intervi) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ में माह के प्रत्येक मंगलवार(यदि मंगलवार को राजकीय अवकाश होता है तो अगले मंगलवार में) को प्रातः 10:00 बजे से सायं 01:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की(स्व:प्रमाणित) छायाप्रतियों का दो सेट बायोडाटा सहित लायेगे।

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पी0एम0एस0एस0वाई0) फेज-3 हेतु दिनांक 20-08-2019 के साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश महानिदेशालय/शासन द्वारा निर्गत होने की प्रत्याशा में उन पदों को छोड़कर शेष रहे विभिन्न विभागों के रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत है:-

क.सं.	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	सीनियर रेजीडेंट	योग
1	पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग	01	01	01	09	12
2	कार्डियोलॉजी विभाग	01	01	00	09	11
3	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग	01	01	01	09	12
4	नेफ्रोलॉजी विभाग	00	01	01	09	11
5	न्यूरोलॉजी विभाग	01	01	00	09	11
6	न्यूरो सर्जरी विभाग	00	01	00	08	09
7	प्लास्टिक एण्ड रिकस्ट्रक्सन सर्जरी विभाग	00	01	01	07	09
8	रेडियोथेरेपी विभाग	00	01	01	08	10
	कुल योग	4	8	5	68	85

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- शासनादेश संख्या:-119/2018/2842/71-2-2018-33/2018 लखनऊ:दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य(कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू0 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक(Remuneration) प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के अनुसार होगी।
- शासनादेश संख्या:-4661/71-1-08-जी-63/2008 लखनऊ:दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 90,000/-, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 80,000/- एवं सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 60,000/-प्रतिमाह है। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार होगी।
- उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions regulations, 1998, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 एवं दिनांक 7 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं।
- उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं दिनांक 20 सितम्बर, 2018 मेडिकल कालेज की वेबसाईट lrmmedicalcollege.nic.in एवं महानिदेशालय की वेबसाईट www.updgm.in पर उपलब्ध हैं।
- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

प्रधानाचार्य,

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,

मेरठ।

तददिनांक

21-9-19

संख्या:-ई0सी0-1/2019/

7484

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञापित को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करादेवे।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञापित को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादेवे।
- सूचना पट।
- आदेश पुस्तिका।


प्रधानाचार्य,

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,

मेरठ।

ला०ला०रा०स्मा०मेडिकल कालेज मेरठ मे एम०बी०बी०एस० की 150 सीटों एवं पी०जी० सीटों की वृद्धि हेतु विशिष्टतावार एम०सी०आई० के मानको के अनुसार अवश्यक सीनियर रेजीडेन्ट के स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार हैं:-21.09.2019

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पदों की संख्या	रोस्टर के अनुसार आरक्षित श्रेणी				रिक्त पद
				अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	नेत्र रोग विभाग	02	01	01	00	00	00	01
2	आब्स एण्ड गायनोकोलोजी विभाग	05	03	00	01	01	00	02
3	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	06	01	02	01	02	00	05
4	एनेस्थीसिया विभाग	12	07	00	03	02	00	05
5	सामान्य मेडिसिन विभाग	09	06	01	02	00	00	03
6	टी०वी० एण्ड च्सेस्ट विभाग	02	00	01	00	00	01	02
7	चर्म रोग	02	01	00	00	01	00	01
8	दन्त रोग	05	04	00	00	01	00	01
09	साईकेट्री	02	01	00	01	00	00	01
10	बाल रोग विभाग	05	03	00	01	01	00	02
11	सामान्य सर्जरी विभाग	09	06	00	02	01	00	03
12	आथोपेडिक्स विभाग	05	03	00	00	02	00	02
13	ई०एन०टी० विभाग	02	01	00	00	01	00	01
	कुल	66	37	5	11	12	01	29


 प्रधानाचार्य,
 ला०ला०रा०स्मा०मेडिकल कालेज,
 मेरठ।

संविदा के आधार पर सेवा योजन हेतु विज्ञप्ति

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या:-एम0ई0-2/2015/1918 लखनऊ:दिनांक 21 सितम्बर, 2015 एवं संख्या:-एम0ई0-2/2015/2123 लखनऊ:दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के आदेशानुसार एवं शासनादेश संख्या:-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेश:-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08 दिनांक 22 जनवरी, 2015 के क्रम में एम0सी0आई0 के मानकों की पूर्ति हेतु मेडिकल कालेज, मेरठ में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन "वाक-इन-इन्टरव्यू"(Walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ में माह के प्रत्येक मंगलवार(यदि मंगलवार को राजकीय अवकाश होता है तो अगले मंगलवार में) को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की(स्व:प्रमाणित) छायाप्रतियों का दो सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ में दिनांक 23-07-2019, दिनांक 13-08-2019, दिनांक 27-08-2019, दिनांक 03-09-2019 के साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश महानिदेशालय/शासन के द्वारा निर्गत होने की प्रत्याशा में उन पदों को छोड़कर शेष रहे विभिन्न विभागों के रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	योग
1	एनाटामी विभाग	—	02	—	02
2	पैथोलॉजी विभाग	01	—	—	01
3	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	—	02	—	02
4	फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	01	01	01	03
5	बायोकेमिस्ट्री विभाग	—	00	01	01
6	एस0पी0एम0 विभाग	—	—	01	01
7	पीडियाट्रिक्स विभाग	03	02	—	05
8	आब्स एण्ड गायनोकोलोजी विभाग	—	—	01	01
9	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग	01	01	01	03
10	सामान्य मेडिसिन विभाग	02	01	04	07
11	टी0बी0 एण्ड चैस्ट विभाग	01	—	01	02
12	साईकेट्री विभाग	01	01	—	02
13	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	01	02	03	06
14	एच0एम0ई0विभाग	—	01	01	02
15	फार्माकोलॉजी विभाग	—	01	—	01
16	अस्थि रोग विभाग	—	02	—	02
17	सामान्य सर्जरी विभाग	—	—	01	01
18	एनेस्थीसिया विभाग	01	01	—	02
19	ई0एन0टी0 विभाग	01	—	—	01
	कुल योग	13	17	15	45

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के ट्रांसा सेन्टर हेतु रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह आचार्य	प्रवक्ता	सीनियर रेजीडेण्ट	जूनियर रेजीडेण्ट	योग
01	न्यूरोसर्जरी	01	—	—	04	—	05
02	आर्थोसर्जरी	01	—	—	02	—	03
03	जनरल सर्जरी	01	—	01	04	—	06
04	एनेस्थीसिया	01	—	01	16	—	18
05	जूनियर रेजीडेण्ट प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा)	—	—	—	—	10	10
	कुल योग	04	—	02	26	10	42

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 90,000/-, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 80,000/-, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 60,000/- प्रतिमाह हैं। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions regulations, 1998, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 एवं दिनांक 07 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं। डेण्टेस्ट्री की विशिष्टता में भी पी0जी0डिग्री धारक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता हैं।
2. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को पद हेतु निर्गत किए जाने वाले शासनादेश में उल्लिखित एवं निहित शर्तों को पूर्ण करना होगा। संविदा पर प्रवक्ता पद की नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट होगी तथा आचार्य एवं सह आचार्य के पद हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी ही अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. चिकित्सा शिक्षक की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
4. ओपी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
5. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
13. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती हैं।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

प्रधानाचार्य,

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।

तद्दिनांक 21-8-19

संख्या:-ई0सी0-1/2019/

7495

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करादेवे।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेजों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादेवे।
5. सूचना पट।
6. आदेश पुस्तिका।

प्रधानाचार्य,

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।